

WESTERN RAILWAY INTRODUCED VARIOUS INCENTIVE SCHEMES FOR FREIGHT TRANSPORTERS TO BOOST FREIGHT EARNINGS

Western Railway has introduced various incentive schemes to attract freight transporters to tie up with Railways for transportation of their goods & parcels. Looking at the overall market scenario and based on the existing traffic pattern, such schemes result in a win-win situation for the customers as well as for Railways. However, due to segregated rules available on Indian Railways Website, it becomes difficult for the stakeholder, especially for those who are presently not directly affiliated with Railways and even for the existing customers to know the various facilities available for them being provided by Railways.

According to a press release issued by Western Railway, with a view to provide ease of business to the customers and to garner additional volume of traffic and revenue to the railways, Freight Incentive Schemes are in existence for transportation of freight through Railways. Except for Station to Station Rates and Long term Tariff Contract, all the incentives/ benefits are provided at the Goods shed itself based on the traffic offered and the scheme guidelines. Hence, in order to educate the public about the initiatives by Railways, some of the major schemes available for transportation of goods through Railways are outlined below:

1. Station To Station Rates (STS):

This scheme was introduced in the year 2016 and is applicable to a specific stream of traffic of a particular commodity for movement between a specific pair of originating and destination stations/ points. Both incremental and New traffic gets a discount of maximum 30% and Container traffic can get up to 15% after crossing Benchmark Net Tonne Kilometres (NTKM), which is the average NTKM of the corresponding period of previous 24 months. The percentage discount is over the Normal Tariff Rate (NTR) and given on RR (Railway Receipt). The agreement should be for a maximum of three years and not less than one year and is admissible to block rake, two point/multi point and mini rakes. However, commodities with classification below Class 100, Coal and Coke, iron ore, Military traffic, POL and RMC are excluded under this scheme. To avail benefit under the scheme, the desirous customer will have to submit application to Divisional Railway Manager of the concerned Division with full details of traffic offered, pair of station between which traffic is offered along with details of previous year traffic if any.

2. Liberalised Automatic Freight Rebate Scheme on traffic booked in Traditional Empty Flow Direction (TEFD):

This scheme has been introduced in terms of the Rates Circular No. 08 of 2020 dated 22.4.20. Minimum traffic offered should be half rake of permitted stock. Rebate for certain commodities mentioned will be granted only after crossing the monthly benchmark. Discount in freight is offered from the first rake itself, except for certain specified commodities. The rebate is granted automatically on freight for notified streams of inter-zonal and intra-zonal traditional empty flow direction, subject to fulfilment of certain criteria. Freight shall be charged at Class LR1 for trainload and Class 100 for wagon load. Commodities such as all types of iron ore, coal and coke, Petroleum, Oil, Lubricants (POL), Railway Material Consignments (RMC), Military traffic and commodities under Class-LR2 and LR3 are restricted. Also, Short lead traffic of less than or equal to 200 kms are not eligible.

3. Long Term Tariff Contract (LTTC):

This scheme was introduced vide Rates Circular No.14 of 2017 dated 30.03.2017. Customers assuring long term traffic get assurance of certainty in tariff rates as well as freight rebate on fulfilment of certain conditions. A Customer already loading/giving traffic of atleast 1 Million Tonnes per annum in the previous year (outward or both outward and inward) are eligible. New customer (first time to Railways) is also eligible, if commitment is given of loading traffic of more than 3 Million Tonnes over the entire agreement period of three years with atleast 1 Million Tonne during the first year. Customer availing rebate under STS, Freight Forwarder Scheme and short lead traffic as well as commodities with Class below 100, Coal and Coke, Iron Ore, Military traffic, POL, RMC, Container and Automobile traffic are not eligible. Net freight after rebate shall not be less than freight of Class-100. If both consignor and consignee are under LTTC, consignor will be given rebate. The agreement shall be for minimum 3 years and not more than 5 years. Rebate shall be granted as per the graded rebate structure given by Board either as refund immediately within 45 days after completion of each year or through freight adjustment in freight during the next year. Graded discount on the entire traffic is granted based on the quantum of percentage increment over the accepted benchmark starting from more than 5% increment getting 1.5% rebate and more than 100% increment getting maximum 35% rebate. New Traffic shall be eligible for a flat 2.5% rebate on GFR. From second year rebates as per the rebate structure will be applicable. To enter into contract under this scheme, the desirous customer will have to submit application to Principal Chief Commercial Manager of the concerned Zonal Railway with full details of traffic to be offered along with details of previous year traffic if any. The customer can have agreement with single Zonal Railway or if desire can also have multi Zonal Railway agreement with application at single Zone also.

4. Freight Forwarder Scheme:

This scheme is covered under the Rates Master Circular for Freight Incentive Scheme dated 16-06-2015 in order to facilitate cargo aggregation and expand the commodity basket of Railways. A Freight Forwarder is permitted to load one/two commodities in any number of wagons for which Train Load rate would be charged at applicable Class rate. A customer is also allowed to load more than two commodities upto 10 wagons for which a Composite Class rate of 120 would be charged. The scheme benefit will not be available for lead less than 700 Kms. The restricted commodities include Coal & its variants, Coke & its variants, POL, RMC, Iron Ore, Traffic moved in privately owned wagons (including OYWS, WIS/ LWIS), traffic in ports, container traffic, Military traffic and Marine gypsum. For loading more than 2 commodities in a wagon, all types of ores and minerals, cement, foodgrain, chemical manures, iron and steel will be restricted. Under this scheme, for traffic on notified traditional empty flow direction, indent of less than full rake size is also acceptable. For covered and flat wagons minimum 20 wagons and for BOX wagons, indent of 30 wagons can be accepted.

5. Relaxation for loading of Steel pipes through Railways:

The Rates Master Circular for Permissible carrying capacity -2020 issued on 01.05.20 stipulates relaxation for loading of Steel pipe of diameter more than 16 inch, the charging which will be for 50 Tonnes only or actual whichever is more and for diameter less than or equal to 16 inch or mixed with both will be charged for 63 Tonnes (61 Tonnes for Excepted CC + 6 route) or actual weight whichever is more per wagon. This is permitted for loading in BOST wagons. Declaration regarding diameter of steel pipe has to be done by the customer in the forwarding note.

6. Relaxation for loading of Petcoke through Railways:

The Rates Master Circular for Permissible carrying capacity – 2020 issued on 01.05.20 & corrigendum 2 to RMC issued on 25.06.20 deals with the charging of petcoke when loaded in these wagons will be for tonnage as mentioned under:

Wagons:

BOXN: 63 Tonnes

BOXNHL: 68 Tonnes (66 Tonnes for Excepted CC + 6 route)

BOXNHS : 63 Tonnes

This scheme is permitted for loading in BOXN, BOXNH & BOXNHS wagons.

7. Concession for non-refined Salt for human consumption through Railway:

This scheme is stipulated in Rates Circular No. 8 of 2006.

- Concession in graded form for above 1000 kms ***with minimum freight as prescribed.***

1001 – 1600-	10%	Not less than 1000 Kms freight
1601 – 2300-	15%	Not less than 10% concession freight of 1600 Kms
2301 – 3000-	20%	Not less than 15% concession freight of 2300 Kms
3001 & above-	25%	Not less than 20% concession freight of 3000 Kms
- Concession shall be granted on production of a certificate issued by the office of the Salt Commissioner or his authorized agents about the nature and category of salt along with Forwarding Note by the consignor under priority 'D' or 'C' as the case maybe.
- Concession will apply to both ordinary refined iodised salt and ordinary non-refined salt meant for iodisation.
- Not applicable to various varieties of refined salt, branded refined salt, free flowing saltable salt, vacuum salt, etc

8. Freight Incentive Scheme for loading bagged consignment in open & flat wagons:

This scheme was introduced vide Rates Circular No.27 of 2016 dated 20.10.2016 to garner additional volume of traffic and revenue. It is applicable only to trainload traffic. 20% discount on Normal Tariff Rate (NTR) for commodities mentioned in the circular and 30% discount on Urea. Minimum chargeable freight should not be less than NTR of Class - LR1. Commodities to be loaded in standard bags of size upto a maximum of 2.5 tonnes only in Open wagons. For Flat wagons commodities to be loaded in standard bags of upto a maximum of 100 kgs. Not applicable to traffic for less than or equal to 100km. Customer to give undertaking on F/Note giving consent for loading in Open and Flat wagons, and that they will bear the full risk of damage/pilferage of consignment.

9. Freight Incentive Scheme For Loading of Fly Ash:

This scheme was Introduced vide Rates Circular No. 09 of 2020 dated 08.05.2020 in order to generate additional loading of Fly Ash and to ensure improved utilization of rolling stock, which came into effect from 10.05.20. This scheme is applicable only on train load. 40% concession on Normal Tariff Rate of applicable class for fly ash loaded in Open & Flat wagons. Customer has to give undertaking on F/Note giving consent for loading in Open and Flat wagons, and that they will bear the full risk of damage/pilferage of consignment. Fly ash loaded in covered wagons will be charged at Class LR1.

- **Concurrent Concessions:**

- a) Freight concession granted to North East region shall be concurrently available.
- b) When transported in TEFD stream, the lower of the two NTRs shall be charges.
- c) For LTTC, the revenue actually paid to IR will be taken for calculation of AGFR.

10. Round Trip Traffic (RTT):

This is a newly introduced scheme vide Rates Circular No.11 of 2020 dated 05.06.2020 to provide advantage to Rail transportation over Road and which came into effect from 01.07.2020. This scheme is also applicable only to block rakes. Customer commits to offer traffic in the return direction back to originating station from either the destination station or any point within 200kms of the destination station. No charging for rake movement from destination to point of return direction traffic within 200 Kms. Such traffic for outward and return will be charged at lower of the applicable class rates between the outward and return traffic. If the outward and return traffic both have same applicable class of charging then flat concession of 10% will be provided for return traffic. The rate benefit will be given on the Railway Receipt of the return direction. Applicable, only if the loading in return direction begins within 24hrs of the release of the outward rake at destination. All Port terminals and sidings are covered under this scheme. Minimum chargeable after all concession not to be below Class 100.Freight rebate under assisted siding policy, wagon investment policy, and terminal development scheme can be given concurrently with RTT.

11. Short Lead Traffic:

This is another newly introduced scheme vide Rates Circular No. 16 of 2020 for granting slab wise concession in charging of freight. This is applicable for all traffic except “Coal & Coke, Iron Ore, Military Traffic, Rail Material Consignments (RMC) and Container Traffic” and for traffic booked upto 100 kms only. This scheme is Effective from 01.07.20 up to 30.06.2021.

Concession on Normal Tariff Rate (NTR) :

Distance:

- 0 to 50Kms – 50%
- 51 to 75Kms – 25%
- 76 to 90 Kms – 10%

12. Long Lead Traffic:

This scheme is also introduced recently vide Rates Circular No. 15 of 2020 and Effective from 01.07.20. This scheme entails granting slab wise concession to attract additional traffic in certain long leads by offering competitive freight pricing. Commodity wise, distance wise extent of concession are defined. This is also applicable for Train Load traffic only and will be effective up to 30.06.2021.

Concession on Normal Tariff Rate (NTR).

• Coal & Coke –	Above 1400 Kms –	20%
• Iron & Steel –	Above 1600 Kms –	20%.
• Iron Ore –	Above 700 upto 1500 Kms –	15%
	Above 1500 Kms –	20%.

Western Rly has invited all interested parties to partner with Rlys and avail these customised offers and schemes. These schemes have been designed especially for freight transporters and W. Rly requests them to come forward and grab these attractive schemes. For further specific details of these schemes, the Rates Circulars as mentioned above can be accessed on the below mentioned link:

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?id=0,1,304,366,555

पश्चिम रेलवे पर मालभाड़ा आमदनी बढ़ाने हेतु ट्रांसपोर्टर्स के लिए की गई अनेक प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत

पश्चिम रेलवे द्वारा फ्रेट ट्रांसपोर्टर्स को उनके माल एवं पार्सलों के परिवहन हेतु रेलवे से जुड़ने के लिए आकर्षित करने के दृष्टि से अनेक प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की गई है। मौजूदा यातायात पैटर्न के आधार पर और समग्र बाजार की स्थिति को देखते हुए यह योजनाएं ग्राहकों के साथ-साथ रेलवे के लिए भी फायदेमंद हैं। भारतीय रेल वेबसाइट पर उपलब्ध अलग-अलग नियमों के कारण स्टैकहोल्डर के लिए यह कठिन हो जाता है, विशेषतः उन स्टैकहोल्डरों के लिए जो वर्तमान में रेलवे से सीधे सम्बद्ध नहीं हैं। इसके साथ ही, मौजूदा ग्राहकों को भी यह जानना ज़रूरी है कि रेलवे द्वारा उनके लिए कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

पश्चिम रेलवे द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ग्राहकों को व्यापार में आसानी होने और अतिरिक्त यातायात एवं रेलवे के राजस्व में वृद्धि की दृष्टि से रेलवे के ज़रिए माल परिवहन के लिए मालभाड़ा प्रोत्साहन योजनाओं को उपलब्ध कराया गया है। स्टेशन टू स्टेशन रेट और लॉग टर्म टेरिफ कॉन्ट्रैक्ट के अतिरिक्त सभी प्रोत्साहन / हित को प्रदान की गई यातायात और योजना दिशा-निर्देशों के आधार पर गुड्स शेड में उपलब्ध कराया गया है। अतः रेलवे द्वारा की गई पहल के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए रेलवे के ज़रिए माल परिवहन हेतु उपलब्ध कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में नीचे जानकारी दी जा रही है।

1. स्टेशन से स्टेशन दरें (एसटीएस):

यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई और यह आरंभिक एवं गंतव्य स्टेशनों / प्वाइंटों की विशिष्ट जोड़ी के बीच संचलन हेतु किसी विशेष वस्तु के विशेष प्रकार के यातायात के लिए लागू है। वृद्धिशील यातायात और नए यातायात दोनों को निर्धारित नेट टन किलोमीटर (एनटीकेएम) पार कर जाने के बाद अधिकतम 30% तक छूट प्राप्त होती है एवं कंटेनर यातायात को 15% तक की छूट मिल सकती है जो पिछले 24 माह की इसी अवधि का औसत एनटीकेएम है। छूट प्रतिशत नॉर्मल ट्रैफिक रेट (एनटीआर) से अधिक होती है और रेलवे रसीद (आर आर) पर दी जाती है। करार, अधिकतम 3 वर्षों के लिए होना चाहिए और एक वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और ब्लॉक रेक, टू पॉइंट / मल्टीपाइंट एवं मिनी रेकों के लिए होना चाहिए। तथापि, श्रेणी 100 के नीचे के वर्गीकरण वाली वस्तुओं, कोयला एवं कोक, लौह अयस्क, सैन्य यातायात, पी ओ एल एवं आरएमसी को इस योजना के अंतर्गत नहीं लिया गया है। योजना के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु इच्छुक ग्राहक / उपभोक्ता को संबंधित मंडल के मंडल रेल प्रबंधक को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें

ऑफर किए गए यातायात, स्टेशनों की जोड़ी जिनके बीच यातायात ऑफर किया गया है और पिछले वर्ष के यातायात, यदि है, उसका पूरा विवरण शामिल होगा।

2. ट्रेडिशनल (परंपरागत) एम्टी फ्लो डिरेक्शन (टीईएफडी) में बुक किए गए यातायात पर उदारीकृत स्वतः मालभाड़ा छूट योजना:

यह योजना दिनांक 22.04.2020 के दर परिपत्र संख्या 8 के अनुसार शुरू की गई है। ऑफर दिया गया न्यूनतम यातायात, अनुमत स्टॉक का आधा रैक होना चाहिए। उल्लेख की गई कुछ वस्तुओं के लिए छूट, मासिक बेंच मार्क को पार करने के बाद ही दी जाएगी। मालभाड़ा में छूट कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर पहले रैक से ही दी जाती है। इंटर-ज़ोनल और इंट्रा-ज़ोनल ट्रेडिशनल एम्टी फ्लो डिरेक्शन की नोटिफाइड स्क्रीन के लिए पर छूट स्वतः ही दी जाती है बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे किए गए हों। गाड़ीभार के लिए श्रेणी एवं आर1 पर और वैगन भार के लिए श्रेणी 100 पर मालभाड़ा प्रभार किया जाएगा। सभी प्रकार के लौह अयस्क, कोयला एवं कोक, पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट्स (पीओएल), रेल सामग्री परेषण (आर एम सी), सैन्य यातायात तथा श्रेणी एवं आर 2 एवं एल आर 3 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, 200 किलोमीटर के बराबर अथवा उससे कम दूरी के यातायात के लिए पात्रता नहीं रखते हैं।

3. लॉग टर्म टैरिफ कॉन्ट्रैक्ट (एल टी टी सी) :

यह योजना दिनांक 30.03.2017 के दर परिपत्र संख्या 14 - 2017 द्वारा शुरू की गई। लंबी अवधि के यातायात का आश्वासन देने वाले ग्राहकों को कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर मालभाड़ा में रियायत के साथ-साथ टैरिफ दरों में निश्चितता का आश्वासन दिया जाता है। पिछले वर्ष के दौरान न्यूनतम 1 मिलियन टन प्रति वर्ष का पहले से ही लदान करने वाले / यातायात देने वाले [जावक अथवा जावक और आवक दोनों] ग्राहक इसके लिए पात्र हैं। नया ग्राहक [रेलवे में पहली बार] जो पहले वर्ष के दौरान कम से कम 1 मिलियन टन के लदान सहित 3 वर्षों की कुल करार अवधि में 3 मिलियन टन से अधिक के यातायात लदान का वचन देता है, वह भी इस योजना हेतु पात्र है। एसटीएस, फ्रेट फॉरवार्डर स्कीम और क्लास -100 से नीचे की वस्तुएं कोक, आयरन और मिलिट्री ट्रैफिक, पी ओ एल, आर एम सी, कंटेनर और ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के साथ-साथ शॉर्ट लीड ट्रैफिक के अंतर्गत रियायत का लाभ लेने वाले ग्राहक इस योजना हेतु पात्र नहीं हैं। रियायत के बाद कुल मालभाड़ा क्लास - 100 के मालभाड़े से कम नहीं होगा। यदि कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ही एलटीटीसी के अंतर्गत शामिल हैं, तो कंसाइनर को रियायत दी जाएगी। यह करार न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा। रियायत की मंजूरी बोर्ड द्वारा दिए गए ग्रेड रिबेट स्ट्रक्चर के अनुसार की जाएगी जो या तो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अंदर तत्काल धनवापसी के तौर पर की

जाएगी अथवा अगले वर्ष के दौरान मालभाड़ा में मालभाड़ा समायोजन द्वारा दी जाएगी। समग्र यातायात पर ग्रेडेड डिस्काउंट स्वीकृत बेंचमार्क पर प्रतिशत वृद्धि की मात्रा के आधार पर मंजूर किया जाता है जो 5% से अधिक की वृद्धि पर 1.5% की रियायत और 100% से अधिक की वृद्धि पर अधिकतम 35% की रियायत होती है। नया यातायात जी एफ आर पर 2.5 प्रतिशत के एक समान रियायत हेतु पात्र होगा। दूसरे वर्ष से रियायतें 'रिबेट स्ट्रक्चर' के अनुसार लागू होंगी। इस योजना के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए ग्राहक को संबंधित जोनल रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसे पिछले वर्ष के यातायात, यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण देते हुए वर्तमान में ऑफर किए जाने वाले यातायात का पूर्ण विवरण देना होगा। ग्राहक किसी एक जोनल रेलवे के साथ भी करार कर सकता है अथवा इच्छुक हो तो किसी एक जोन में आवेदन करके कई जोनल रेलों के साथ भी करार कर सकता है।

4. फ्रेट फॉरवार्डर स्कीम:

कार्गो एकत्रीकरण एवं रेलवे के कमोडिटी बास्केट में वृद्धि करने की सहूलियत हेतु इस योजना को दिनांक 16.06.2015 की फ्रेट इंसेंटिव स्कीम के लिए रेलवे मास्टर सर्कुलर के अंतर्गत कवर किया गया है। एक फ्रेट फॉरवार्डर को एक / दो कमोडिटी को कितनी भी संख्या के वैगनों में लदान करने की अनुमति है जिसके लिए देय श्रेणी दर पर ट्रेन लदान शुल्क देना होगा। एक ग्राहक को 10 वैगनों तक दो सामग्री के लदान की भी अनुमति प्रदान की गई है जिसके लिए 120 के एक संयोजित श्रेणी दर शुल्क देना होगा। 700 किलोमीटर से कम दूरी के लिए इस योजना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। प्रतिबंधित सामग्रियों में कोयला तथा इसके प्रकार, कोक एवं इसके प्रकार, पीओ एल, आर एम सी, लौह, निजी स्वामित्व वाले वैगन में माल यातायात, बंदरगाहों पर यातायात, कंटेनर यातायात, सैन्य यातायात तथा समुद्रिक जिप्सम शामिल है। एक वैगन में 2 से अधिक सामग्रियों में सभी प्रकार के अयस्क एवं खनिज, सीमेंट, अनाज, रासायनिक खाद, लौह एवं इस्पात प्रतिबंधित रहेगी। इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित परंपरागत रिक्त दिशा के यातायात हेतु पूर्ण रेक साइज़ से कम के मांग पत्र भी स्वीकार्य हैं। कवर एवं फ्लैट वैगनों के लिए कम से कम 20 वैगन तथा बॉक्स वैगनों के लिए 30 वैगनों के मांग पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं।

5. रेलवे के माध्यम से स्टील पाइपों की लदान में छूट:

अनुमेय वहन क्षमता- 2020 के लिए दिनांक 01.05.2020 को जारी रेट्स मास्टर सर्कुलर में 16 इंच से अधिक व्यास के स्टील पाइप के लदान हेतु निर्धारित रियायत के अनुसार केवल 50 टन का शुल्क अथवा वास्तविक, जो अधिक हो, तथा 16 इंच के बराबर या कम व्यास अथवा दोनों के मिश्रित हेतु 63 टन (अपेक्षित सी सी हेतु

61 टन + 6 रुट) का शुल्क लगेगा अथवा प्रति वैगन वास्तविक वजन जो अधिक हो। यह बीओएसटी वैगनों के लदान हेतु अनुमेय है। ग्राहकों को फारवर्डिंग नोट में स्टील पाइपों के व्यास से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा।

6. रेलवे के माध्यम से पेट कोक की लदान में छूट:

दिनांक 01.05.2020 को जारी किए गए हनुमत वह क्षमता के लिए रेट्स मास्टर सर्कुलर 2020 और 18 256 2020 को जारी किए गए r-l-c से संबंधित दो सिद्धि पत्रों में दर्शाए अनुसार इन दिनों में पेट को का लदान किए जाने पर पेट कोट का प्रभाव चंदभान के लिए निम्नानुसार होगा:-

वैगन

बीओएक्सएन: 63 टन

बीओएक्सएन एच एल: 68 टन (सी सी को छोड़कर 66 टन +6 रुट)

बीओएक्सएन एच एस: 683 टन

इस योजना को बीओएक्सएन, बीओएक्सएन एच एस, बीओएक्सएन एच एस वैगनों में लदान के लिए अनुमति है।

7. रेलवे के माध्यम से मानव उपभोग हेतु नॉन रिफाइंड नमक के लिए रियायत:

यह योजना दर परिपत्र संख्या 8,2006 के अंतर्गत निर्धारित है।

- न्यूनतम भाड़ा के साथ 1000 किलोमीटर से अधिक के लिए क्रेडिट रूप में रियायत दर निम्नानुसार है
- नमक आयुक्त के कार्यालय अथवा उसके प्राधिकृत एजेंटों द्वारा नमक के प्रकार और कोटि के बारे में जारी किए गए प्रमाण पत्र और प्राथमिकता 'डी' अथवा 'सी' के अधीन कंसाइनर द्वारा अग्रेषित नोट के साथ, जैसा कि मामला हो, प्रस्तुत करने पर रियायत दी जाएगी।
- साधारण रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक और आयोडाइजेशन के लिए साधारण नॉन रिफाइंड नमक दोनों पर लागू होगी।
- रिफाइंड नमक, ब्रांडेड रिफाइंड नमक, फ्री फ्लोइंग टेबल साल्ट, वैक्यूम साल्ट आदि की विभिन्न किस्मों पर लागू नहीं है।

8. ओपन तथा फ्लैट वैगनों में बैगड कंसाइनमेंट की लदान के लिए मालभाड़ा प्रोत्साहन योजना:

यह योजना यातायात राजस्व की अतिरिक्त वृद्धि के लिए दिनांक 20.10. 2016 के दर परिपत्र संख्या 27, 2016 के अंतर्गत जारी की थी। यह केवल ट्रेन लोड यातायात के लिए लागू है। परिपत्र में उल्लिखित वस्तुओं के लिए सामान्य यातायात दर (एनटीआर) पर 20% और यूरिया पर 30% की छूट दी है। न्यूनतम प्रभार्य भाड़ा क्लास - एलआर 1 के एनटीआर से कम नहीं होना चाहिए। केवल

ओपन वैगनों में अधिकतम 2.5 टन तक की साइज़ के मानक बैगों में वस्तुओं को लोड किया जाना है। फ्लैट की वैगनों की वस्तुओं को अधिकतम 100 किलोग्राम तक के मानक बैगों में लोड किया जाना है। 100 किलोमीटर से कम या उसके बराबर के यातायात के लिए लागू नहीं है। ग्राहक ओपन और फ्लैट वैगनों में लोडिंग के लिए सहमति देने वाले फॉरवर्डिंग नोट पर अंडरटेकिंग हेतु कंसाइनमेंट की क्षति / चोरी का पूरा जोखिम का स्वयं वहन करेंगे।

9. फ्लाई एश की लदान के लिए मालभाड़ा प्रोत्साहन योजना:

रोलिंग स्टॉक की उपयोगिता सुधार सुनिश्चित करना और फ्लाई एश के अतिरिक्त लदान उत्पन्न के क्रम में दिनांक 08.05.2020 के 2020 के दर परिपत्र संख्या 9 द्वारा इस योजना को शुरू किया गया जो 10.05.2020 से लागू हो गया। यह योजना ट्रेन लदान के लिए ही लागू है। ओपन तथा फ्लैट वैगन में लदान की गई फ्लाई एश हेतु सामान्य यातायात दर (नॉर्मल टैरिफ रेट) पर 40% रियायत लागू होगी। कस्टमर को एफ / नोट पर घोषणा पत्र देना होगा कि वह ओपन तथा फ्लैट वैगन में लदान हेतु अपनी सहमति दे रहा है तथा परेषिति (कंसाइनमेंट) की क्षति / चोरी के पूरे जोखिम को वहन करेगा। कवर्ड वैगन में लदान की गई फ्लाई एश को क्लास एल आर 1 पर चार्ज किया जाएगा।

**** समवर्ती रियायत**

ए) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रदत्त मालभाड़ा रियायत साथ साथ उपलब्ध रहेगी।

बी) टीईएफडी स्ट्रीम में परिचालित करते समय 2 एनटीआर के लोअर को चार्ज किया जाएगा।

सी) एल टी टी सी हेतु भारतीय रेलवे को भुगतान किए जाने वाले वास्तविक राजस्व को ए जी एफ आर की गणना हेतु लिया जाएगा।

10. राउंड ट्रिप ट्रेफिक (आरटीटी):

सड़क की तुलना में रेल परिवहन के लाभ की व्यवस्था हेतु दिनांक 05.06.2020 के 2020 के दर परिपत्र संख्या 11 द्वारा इस नई योजना की शुरुआत की गई जो दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी हो गई। यह योजना ब्लॉक रैक के लिए भी लागू होगी। गंतव्य स्टेशन या गंतव्य स्टेशन के 200 किलोमीटर में किसी पॉइंट से प्रारंभिक स्टेशन तक वापसी की दिशा में ग्राहक मालभाड़ा को ऑफर करता है। 200 किलोमीटर की सीमाएं गंतव्य से रिटर्न पॉइंट के वापसी दिशा में एक मूवमेंट हेतु चार्जिंग नहीं होगी। बहिर्यात्रा और वापसी यात्रा हेतु ऐसे मालभाड़ा को बहिर्यात्रा तथा वापसी मालभाड़ा के लिए लागू दरों में से कम चार्ज किया जाएगा। यदि वापसी तथा बहिर्यात्रा दोनों के लिए समान चार्ज लागू हो तो वापसी यात्रा के लिए फ्लैट 10% की रियायत दी जाएगी। वापसी दिशा की रेलवे रसीद पर दर लाभ दिया जाएगा। यह लागू होगा यदि गंतव्य स्थान पर बहिर्यात्रा रैक के रिलीज़ के 24 घंटे की सीमा में

वापसी दिशा में लदान शुरू हो जाए। सभी पोर्ट टर्मिनल तथा साइडिंग को इस योजना में शामिल किया जाएगा। सभी रियायतों के बाद न्यूनतम चार्ज क्लास 100 से कम नहीं होना चाहिए। असिस्टेड साइडिंग पॉलिसी, वैगन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और टर्मिनल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत मालभाड़ा छूट को आरटीटी के साथ साथ दिया जाएगा।

11. शॉर्ट लीड ट्रेफिक:

माल भाड़े के चार्ज में स्लैबवार छूट देने के लिए यह एक नई आरंभ की गई योजना है। 2020 के दर परिपत्र संख्या 16 देखें। यह कोल एंड कोक, आयरन और मिलिट्री ट्रेफिक, रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट (आरएमसी) एवं कंटेनर ट्रेफिक और केवल 100 किलोमीटर तक के लिए बुक किए हुए ट्रेफिक को छोड़कर सभी ट्रेफिक के लिए लागू है। यह योजना 01.07.2020 से 30.06.2021 तक प्रभावी रहेगी।

सामान्य टैरिफ दर (एनटीआर) पर छूट

दूरी

0 से 50 किलोमीटर - 50%

51 से 75 किलोमीटर - 25%

76 से 90 किलोमीटर - 10%

12. लॉग लीड ट्रेफिक:

कृपया 2020 के दर परिपत्र संख्या 15 देखें, यह योजना भी हाल ही में आरंभ की है और दिनांक 01.07. 2020 से प्रभावी है। यह योजना प्रतियोगी मालभाड़ा कीमत प्रदान कर एक निश्चित लॉग लीड में अतिरिक्त ट्रेफिक को आकर्षित करने के लिए स्लैबवार छूट देने की ज़रूरत पर जोर देता है। छूट की सीमा मालवार, दूरीवार निर्धारित की जाती है। यह भी केवल ट्रेन लोड ट्रेफिक के लिए लागू है और 30.06.2021 तक प्रभावी रहेगा।

सामान्य टैरिफ दर (एनटीआर) पर छूट:

कोल एंड कोक - 1400 किलोमीटर से अधिक- 20%

आयरन एंड स्टील - 1600 किलोमीटर से अधिक - 20%

आयरन आर - 700 किलोमीटर से अधिक 1500 किलोमीटर तक- 15%

1500 किलोमीटर से अधिक 20%

पश्चिम रेलवे ने सभी संबद्ध पार्टियों को रेलवे के साथ साझेदार बनने और इन अनुकूलित प्रस्ताव और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। इन योजनाओं को विशेष रूप से मालभाड़ा ट्रांसपोर्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। पश्चिम रेलवे उनसे आगे आने और इन आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाने के

लिए अनुरोध करती है। इन योजनाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी हेतु उपर्युक्त लिखित दर परिपत्र को निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?id=0,1,304,366,555
